

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक 493 /जे.डी.ए.-तलपट मानचित्र-(2020-2021)

दिनांक 13 अगस्त 2020

श्री हरजीत सिंह चावला पुत्र श्री सर्व सिंह चावला
झांसी होम्स प्रा. लि. झांसी
निवासी— सर्वनगर सी.पी. मिशन कम्पाउण्ड, झांसी

आपके द्वारा प्रस्तावित ऑनलाईन तलपट मानचित्र संख्या MAP201908281811509140 मौजा-भोजला के आराजी नम्बर 608 में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ तलपट मानचित्र पर अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो विना किसी आपत्ति के देय होगा एवं किसी भी प्रकार के बड़े हुये शुल्क की मांग प्राधिकरण द्वारा की जाती है तो उसे जमा कराना होगा अन्यथा तलपट मानचित्र निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
5. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो विना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय और विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि गौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
8. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
9. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
10. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
11. प्रस्तुत विभिन्न सरकारी विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे—अग्नि शमन सुरक्षा, जल संस्थान, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम एवं तहसील द्वारा जारी अनापत्ति प्रभाव पत्रों में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। रेन वाटर हार्सेविटग उचित क्षमता का प्रमाणित कर लगाना होगा। पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासेत (औकूपैन्सी) करेंगे।
13. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :—
 - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
 - समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
15. आन्तरिक विकास के मद में बन्धक रखे भूखण्डों के सम्बन्ध में झांसी विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता के मध्य हुये एग्रीमेन्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भूखण्ड से संलग्न सरकारी सम्पत्ति यथा चक्रोड, नाली व अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर विना सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति के किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
17. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
18. पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र पर दी गयी शर्तों एवं तलपट पर अनुबंध की शर्तों व अन्य विभागों की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
19. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
20. पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र पर दी गयी शर्तों एवं तलपट पर अनुबंध की शर्तों व अन्य विभागों की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :— स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :— अवर अभियंताको प्रेषित।

*200
13.8.2020*

सदिव
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी